C

(1)

प्रेषक, महत्वपूर्ण

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
बी-912, सैक्टर सी, महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)
पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त सहायक प्रबन्धक,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 4265 /म0प्र0(स0वि0)/(मू0), दिनांक 19-10- 1995

विषय:- निगम द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2309, दिनांक 25-7-95 का संदर्भ प्राप्त करें जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 997/38-6-10डी0/95, दिनांक 27-3-95 एवं सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 799, दिनांक 11 मई, 1995 की प्रति संलग्न करते हुये महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्राप्यों का निर्धारण करते हुये वांछित प्रगति रिपोर्ट तथा स्व रोजगार स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के साथ ही साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्ही क्षेत्र की महिलाओं के रोजगार सृजन हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता एवं विपणन की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये योजनायें तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में आपको सूचित करना है कि प्रत्येक माह मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा महिलाओं की भागीदारी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की जाती है तथा उसमें विभागवार महिलाओं की भागीदारी की चर्चा की जाती है। दिनांक 9-10-95 को भी उक्त बैठक का आयोजन मुख्य सचिव के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना तथा स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर 1995 तक की प्रगति देखने से यह विदित हुआ कि महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत स्वतः रोजगार योजना में 12.72 प्रतिशत है तथा स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना में 13.43 प्रतिशत है। आप अवगत हैं कि स्वतः रोजगार योजना में महिलाओं की भागीदारी 40 प्रतिशत तथा स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना में 50 प्रतिशत शासन द्वारा निर्धारित की गई है। उपरोक्त आंकड़ों को देखने से यह विदित होता है कि आप द्वारा महिलाओं को वित्त पोषित करने में विशेष रुचि नही ली जा रही है, फलस्वरूप महिलाओं की भागीदारी हेतु निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति नही हो रही है। यह सर्वविदित है कि महिलायें सामान्यतया किफायतशार होती हैं, परिवार तथा बच्चों के भविष्य के लिये पूंजी की बचत तथा सदुपयोग करती है तथा उनमें दुर्व्यसन भी बहुत कम होता है, इसलिये भी पुरुष गृह स्वामियों को उनके परिवार हित में ही समझाते हुये महिलाओं को

निर्धारित प्रतिशत से भी अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित कराया जाय।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जो भी प्रार्थना पत्र तैयार किये जायें उसमें निर्धारित मानक के अनुसार महिलाओं के प्रार्थना पत्र भी तैयार किये जायं तथा उनके लिये नियमानुसार वित्त पोषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जिससे कि महिलाओं के वित्त पोषण के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। कृपया इस पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाय।

भवदीय,

(के0के0 एन0 सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

पृ0सं0 4262 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

इस आशय से कि कृपया मण्डल प्रभारी महा प्रबन्धक इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(के0के0 एन0 सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।